संख्या:-41/2025/2034/छप्पन-2024-180क्यू/81

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2025

विषय- राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जों के क्रय व उनके अनुरक्षण तथा ऑयल/लुब्रीकेन्टस/ ए0टी0एफ0 व ए0वी0 गैस आदि के लिए मेसर्स एच0ए0एल0, बंगलौर एवं इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा विदेशी कम्पनियों/फर्मों को अग्रिम भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को अग्रिम आहरण का अधिकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-294/ना0उ0नि0/6-जी/ 88, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-27/2024/25/छप्पन-2024-180क्यू/81 दिनांक 04 मार्च, 2024 के द्वारा राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जो, ग्राउण्ड सपोर्ट इक्युपमेंट, टूल्स तथा गेजेज के क्रय व तत्सम्बन्धी अनुषांगिक व्यय एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य जैसे कैलीब्रेशन/ओवरहाल/सर्विसिंग/मरम्मत का कार्य, तकनीक डाक्यूमेंट्स/मीडिया/ई-चार्ट्स/नैव डाटा का सब्सक्रिप्सन, एवियानिक्स उपकरणों के मेंटीनेंस सपोर्ट प्रोग्राम का क्रय/कार्य को निर्माता कंपनी/निर्माता कंपनी द्वारा अधिकृत अथवा महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य बाहरी संस्थाओं से कराये जाने के निमित्त यथावश्यकता अग्रिम/बिल के आधार पर भुगतान करने तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अग्रिम भुगतान करने एवं विदेशी निर्माता कंपनियों/उनके द्वारा अधिकृत/अनुमोदित (भारतीय फर्मों) के नाम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में लैटर ऑफ़ क्रेडिट (साख पत्र) खोलने तथा वायर ट्रान्सफर/ स्विफ्ट के माध्यम से अग्रिम/बिल के आधार पर भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक मामले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) तक की धनराशि के अग्रिम आहरण एवं भुगतान स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए प्रदान की गयी है तथा राजकीय वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए ऑयल/लुब्रिकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि के क्रय हेतु भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स इण्डियन ऑयल/भारत पेट्रोलियम/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा इण्डियन ऑयल के सहयोगी फर्म ए0वी0 ऑयल को अग्रिम भुगतान करने हेतु निदेशक नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को एक मामले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण व भुगतान करने का अधिकार भी प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के द्वारा किए गए प्रस्ताव एवं इंगित शासनादेश के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जी, ग्राउण्ड सपोर्ट इक्युपमेंट, टूल्स तथा गेजेज के क्रय व तत्सम्बन्धी अनुषांगिक व्यय एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य जैसे कैलीब्रेशन/ओवरहाल/ सर्विसिंग/मरम्मत का कार्य, तकनीक डाक्यूमेंट्स/मीडिया/ई-चार्ट्स/नैव डाटा का सब्सक्रिप्सन, एवियोनिक्स उपकरणों के मेंटीनेंस सपोर्ट प्रोग्राम का क्रय/कार्य को निर्माता कंपनी/निर्माता कंपनी द्वारा अधिकृत अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य बाहरी संस्थाओं से कराये जाने के निमित्त यथावश्यकता अग्रिम/बिल के आधार पर भुगतान करने तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अग्रिम भुगतान करने एवं विदेशी निर्माता कंपनियों/उनके द्वारा अधिकृत/अनुमोदित (भारतीय फर्मों) के नाम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में लैटर ऑफ़ क्रेडिट (साख पत्र) खोलने तथा वायर ट्रान्सफर/ स्विफ्ट के माध्यम से अग्रिम/बिल के आधार पर भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को किसी एक मामले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 50,00,000/- (पचास लाख मात्र) तक की धनराशि के अग्रिम आहरण एवं भुगतान किए जाने का अधिकार प्रदान किये जाने तथा राजकीय वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए ऑयल/लुब्रिकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि के क्रय हेतु भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स इण्डियन ऑयल/भारत पेट्रोलियम/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा इण्डियन ऑयल के सहयोगी फर्म ए0वी0 ऑयल को अग्रिम भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को एक मामले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में रूपये 20,00,000/- (बीस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण करने के अधिकार को प्रतिनिहित करते हुए उक्त प्रयोजनार्थ अवधि दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- आपूर्ति संस्थाओं/फर्मो को बिल के आधार पर ही भुगतान किये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी। अग्रिम के रूप में धनराशि का आहरण एवं भुगतान तभी किया जायेगा जब संबंधित आपूर्ति संस्था/फर्म द्वारा अग्रिम के अभाव में संबंधित आपूर्ति/कार्य को सम्पादित किये जाने में असमर्थतता व्यक्त की गयी हो।

2- अगला अग्रिम तभी आहरित किया जायेगा जब प्रश्नगत वित्तीय वर्ष-2025-26 में पूर्व में आहरित अग्रिम का पूर्ण समायोजन हो जाने पर तत्संबंधी बिल को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर दिया गया हो। अग्रिम से संबंधित प्रत्येक बिल पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना होगा ।

3- जिस अग्रिम धनराशि का समायोजन नहीं हुआ हो, उस सीमा तक अग्रिम की धनराशि का आहरण प्रतिबन्धित रहेगा ।

4- प्रश्नगत वित्तीय वर्ष-2025-26 में स्वीकृत एवं आहरित अग्रिम धनराशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन से संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- अग्रिमों के समायोजन हेतु डी.सी. बिल्स (Detailed Contingent Bills) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निर्धारित प्रक्रियानुसार समय से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- आवश्यक पुर्जो के क्रय तथा आयल/लुब्रीकेन्टस/ए0टी0एफ0 तथा ए 0वी0 गैस आदि के क्रय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी हो तथा तत्संबंधी स्वीकृति आदेश में उस प्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति दी गयी है।

7- विदेशी फर्मो को भुगतान स्टेट बैंक आफ इण्डिया में लैटर आफ क्रेडिट के (LoC) माध्यम से किया जाये। यदि भुगतान लेटर आफ क्रेडिट से सम्भव न हो पा रहा हो अथवा अत्यधिक विलम्ब की सम्भावना हो तभी वायर ट्रान्सफर/स्विफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाये। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा इस संबंध में भारत सरकार,भारतीय रिजर्व बैंक व उ0प्र0सरकार के संगत परिपत्र/शासनादेश/नियमों/दिशा-निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- आपूर्तिकर्ता संस्था/फर्म आदि को अग्रिम भुगतान नियमानुसार आवश्यक बैंक गारण्टी आदि प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

9- स्वीकृत अग्रिम धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाने तथा अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को होने वाली किसी क्षति के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- अग्रिम आहरण एवं भुगतान के संबंध में ''उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल'' के प्रस्तर-11.17 एवं 11.18, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-15-1-(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 तथा शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017 दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में दी गयी संगत व्यवस्थाओं/ शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।''

11- यह अधिकार केवल दिनांक 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

12- अग्रिम जिस सामग्री के क्रय के लिए किया जा रहा है, उसकी आपूर्ति एवं अग्रिम का समायोजन उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं दिनांक 10.6.2011 की व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

13- फालतू पुर्जों के क्रय तथा आयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0/ए0वी0 गैस आदि के क्रय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो और क्रय की स्वीकृति के आदेश में उस प्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है।

14- आपूर्तिकर्ता/फर्म/कम्पनी/उत्पादक को अग्रिम भुगतान वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यक बैंक गारन्टी आदि प्राप्त करने के बाद लेकर किया जाए।

15- राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों हेतु आवश्यक पुर्जों, विभिन्न प्रकार के उपकरणों, डाक्यूमेन्ट्स, ई-चार्टर्स, नैविगेशन डाटा आदि का सब्सक्रिप्शन प्राथमिकता के आधार पर निर्माता फर्म से ही क्रय किया जाए।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन अग्रिम आहरण से सम्बन्धित प्रत्येक स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे कि ''सम्बन्धित मद में बजट में कितना प्रावधान उपलब्ध है उसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितनी धनराशि सम्बन्धित व्यय को वहन करने हेतु उपलब्ध है।'' किसी भी दशा में व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं किया जाए।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–एफ0-ए-1-01/दस-2025, दिनांक 29 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

<u>पृ0 संख्या: 41/2025/2034(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अग्रिम बिल पारित करते समय सुनिश्चित कर लें कि मामले में उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in